क्रम-संख्या–61

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शनिवार, 11 अप्रैल, 2020
चैत्र 22, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 596/79-वि-1–20-2(क)-6-2020
लखनऊ, 11 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2020) जिससे संसदीय कार्य अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन)
अध्यादेश, 2020
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2020)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि भारत और उत्तर प्रदेश राज्य, वैश्विक महामारी कोविड-19 से जकड़े हुये हैं जिसका जनता में कठोर स्वास्थ्यगत एवं आर्थिक असर व्याप्त है। ऐसी स्थिति का सामना करने के उद्देश्य से राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन में कटौती करके संसाधनों में अभिवृद्धि करना आवश्यक हो गया है;

और, चूंकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि पूर्वोक्त सदस्य, माह अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक उपर्युक्त वेतन का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिए हकदार होगा।"

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि पूर्वोक्त सदस्य, माह अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिए हकदार होगा।"

धारा 15-क का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 15-क में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि पूर्वोक्त सदस्य, माह अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक उपर्युक्त सचिवीय भत्ता का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिए हकदार होगा।"

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह–II,
प्रमुख सचिव।

No. 596(2)/LXXIX-V-1–20-2(ka)-6-2020

Dated Lucknow, April 11, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Upalabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 5 of 2020) promulgated by the Governor. The Sansadiya Karya Anubhag-1 is administraively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(U.P. Ordinance no. 5 of 2020)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy-first Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980.

WHEREAS India and the State of Uttar Pradesh are grappling with global pandemic of COVID-19 which has severe health and economic ramifications for the people. In order to meet such situation, it has become necessary to raise resources by reduction of salary of members of Legislature.

AND, WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance.

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Ordinance, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 01 April, 2020.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1) following proviso shall be *inserted,* namely :–

"Provided that the aforesaid member shall be entitled to only seventy per cent of the above mentioned salary from the month of April, 2020 to March, 2021."

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act, the following proviso shall be *inserted,* namely :–

"Provided that the aforesaid member shall be entitled to only seventy per cent of the above mentioned constituency allowance from the month of April, 2020 to March, 2021."

Amendment of section 15-A

4. In section 15-A of the principal Act, the following proviso shall be *inserted,* namely :–

"Provided that the aforesaid member shall be entitled to only seventy per cent of the above mentioned secretarial allowance from the month of April, 2020 to March, 2021."

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 758 राजपत्र–(हि0)–2020–(1802)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 167 सा0 विधायी–2020–(1803)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।